

9/25

पक्षकारान के इच्छिवरता इका साक्ष्य  
वादी से P.W-4 ब्रह्मचर्य चंद इका के बयान  
न्यायालय के निर्देशन से बयान कायुक्त  
की गौरव भर्ता द्वारा लोच बरु दिने गये  
जो पूर्ण इये। वकील वादी ने इपनी  
साक्ष्य समाप्त की पत्राद वापसे साक्ष्य  
परिवादी दि 10/9/25 को पेस वी

ब्रह्मचर्य चंद  
10/9/25

अपर जिला न्यायाधीश सं० 2  
गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राज)

पुनर्विचार

अतना लिखने पर वकील वादी ने  
निवेदन किया कि कुछ विवाहों का भार  
प्रतिवादीगण पर होने से उक्त  
कुछ विवाहों के सिविल में वादी  
का राइट टू रिवील का अधिकार  
निराश्रित रहने हुए सापवात समाप्त  
की पत्राद वापसे हाप प्रति 10/9/25  
10/9/25 को पेस वी

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं० 2  
गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राज)